न्यायालय उप जिलाधिकारी, नवाबगंज, बाराबंकी।

वाद संख्या : 86 / 11–12

अन्तर्गत धारा 143 ज0वि0अधि0
ग्राम लक्षबरबजहा, परगना प्रतापगंज
तहसील नवाबगंज, बाराबंकी।

CANCELLED

डा0 राजेन्द्र प्रसाद एजूकेशनल सोसायटी बनाम सरकार

नकल आदेश दिनांक 12/10/12

डा0 राजेन्द्र प्रसाद एजूकेशनल सोसायटी द्वारा अध्यक्षा श्रीमती ममता श्रीवास्तव पत्नी विजय कुमार श्रीवास्तव, निवासी एन.एस.101 सेक्टर डी, अलीगंज, लखनऊ ने एक प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 143 ज0 वि0 अधिनियम दिया है, जिसमें कहा गया है कि प्रार्थिनी गाटा संख्या–2327 रकबा 0.190हे0 का 1/2 भाग 0.095हे0 व गाटा संख्या–2333 रकबा 0.317हे0 पूर्ण व गाटा संख्या–2334/0.082हे0 का 1/2 भाग 0.041हे0 कुल रकबा 0.453हे0 स्थित ग्राम लक्षबर बजहा, परगना प्रतापगंज, तहसील नवाबगंज, जिला बाराबंकी की बतौर संक्रमणीय भूमिधर मालिक व स्वामिनी है। उपरोक्त भूमि पर वर्तमान समय में कुक्कुट पालन, मत्स्य पालन, सुअर पालन, बागवानी आदि का कार्य नहीं किया जाता है। उक्त भूमि पर कृषि कार्य नहीं होता है क्योंकि भूमि के आसपास की गाटा संख्याओं पर आवासीय गतिविधियां विद्यमान हो चुकी हैं। उक्त भूमि किसी न्यायालय पर विचाराधीन नहीं है। उक्त भूमि को धारा–143 ज0वि0अधि0 के अन्तर्गत अकृषिक घोषित किए जाने हेतु याचना की गयी है।

A-7-1

इस प्रार्थना–पत्र की जांच तहसीलदार, नवाबगंज से करायी गयी। तहसील की आख्या में कहा गया है कि उपरोक्त गाटा संख्याओं पर कृषि कार्य नहीं किया जाता है तथा कुक्कुट पालन, मत्स्य पालन व बागवानी के रूप में प्रयोग नहीं किया जाता है। भूमि पर आवासीय गतिविधियां विद्यमान हैं भूमि अकृषिक है। उक्त भूमि को धारा–143ज0वि0अधि0 के अन्तर्गत अकृषिक घोषित किए जाने की संस्तुति की गयी है।

मैंने तहसील की आख्या एवं पत्रावली पर उपलब्ध खतौनी, आकार पत्र नियम–135 सहित समस्त अभिलेखों का सम्यक् परिशीलन किया। आकार पत्र नियम–135 के अनुसार भूमि पर कृषि कार्य नहीं किया जाता है। भूमि पर आवासीय गतिविधियां विद्यमान हैं। अतएव इसे अकृषिक भूमि घोषित किया जा सकता है।

अतः ग्राम लक्षबर बजहा, परगना प्रतापगंज, तहसील नवाबगंज, जनपद बाराबंकी की खतौनी 1419–1424फ0 की खाता संख्या–342, 333, 59 की गाटा संख्या–2327मि. रकबा 0.095हे0, 2333 रकबा 0.317हे0, 2334मि. रकबा 0.041हे0 कुल 3 किता रकबा 0.453हे0 मालगुजारी परता खाता को अकृषिक प्रयोजन में प्रयुक्त भूमि घोषित किया जाता है। तहसील की जांच आख्या आदेश का अंग रहेगी। आदेश की एक प्रति उप निबन्धक नवाबगंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी जाय। बाद अमलदरामद पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

दिनांक: 12 अक्टूबर 2012

1454
12/10/12
4-7
311
12/10/12

TRUE COPY
12/10/12

(सुनील कुमार चौधरी)
उप जिलाधिकारी नवाबगंज,
बाराबंकी।

छाया प्रति सकल आदेश दिनांक

आदेश पत्रक

न्यायालय : उपजिलाधिकारी
मण्डल :अयोध्या,जनपद :बाराबंकी,तहसील :नवाबगंज
वाद संख्या :-12904/2022 आर स-244/2022
कंप्यूटरीकृत वाद संख्या :-T201904120111904
डा0 राजेन्द्र प्रसाद एजु0 सोसी0 द्वारा अध्यक्ष श्रीमती ममता श्रीवास्तव बनाम सरकार उ0प्र0
अंतर्गत धारा:- 80, अधिनियम :- उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006

CANCELLED

CANCELLED

निर्णय

प्रस्तुत वाद धारा–80 उ0प्र0 राजस्व संहिता–2006 के अन्तर्गत डा0 राजेन्द्र प्रसाद एजुकेशनल सोसाइटी द्वारा अध्यक्ष श्रीमती ममता श्रीवास्तव पत्नी श्री विजय कुमार श्रीवास्तव निवासी एम0एस0–101, सेक्टर बी, अलीगंज, लखनऊ द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांकित 16.04.2022 पर तहसीलदार नवाबगंज द्वारा नियत प्रारूप पर प्रेषित आख्या दिनांक 05–05–2022 के आधार पर प्रारम्भ हुई। वाद नियमानुसार पंजीकृत किया गया।

वादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में उल्लेख किया गया है कि खाता संख्या 01296 गाटा संख्या 2264 रकबा 0.6530 है0 में से 0.4808है0 माल गुजारी परता खाता व खाता संख्या 01366 गाटा संख्या 2319 रकबा 0.424है0 पूर्ण माल गुजारी परता खाता कुल 02 किता कुल रकबा 0.904 है0 स्थित ग्राम लक्षर रजहा परगना प्रतापगंज तहसील नवाबगंज जनपद बाराबंकी सोसाइटी के नाम बतौर संक्रमणीय भूमिधर दर्ज सरकारी कागजात है। वादिनी द्वारा यह अवगत कराया गया है कि उक्त गाटा संख्या पर आवासीय गतिविधियाँ विद्यमान हो जाने के कारण अब उपरोक्त भूमि पर कृषि कार्य सम्भव नहीं है, जिसके कारण उपरोक्त भूमि कृषि कार्य प्रयोजन में न आने के कारण उक्त भूमि को गैर कृषिक घोषित किये जाने की आवश्यकता है।

उपरोक्त के सम्बन्ध में तहसीलदार नवाबगंज द्वारा प्रेषित जाँच आख्या दिनांक 05–05–2022 एवं पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर डा0 राजेन्द्र प्रसाद एजुकेशनल सोसाइटी द्वारा अध्यक्ष श्रीमती ममता श्रीवास्तव पत्नी विजय कुमार श्रीवास्तव निवासी एम0एस0–101 सेक्टर बी अलीगंज लखनऊ के नाम खतौनी वर्ष 1425 से 1430फ0 के खाता संख्या 01296 गाटा संख्या 2264 रकबा 0.6530 है0 में से 0.4808है0 माल गुजारी परता खाता व खाता संख्या 01366 गाटा संख्या 2319 रकबा 0.424है0 पूर्ण माल गुजारी परता खाता कुल 02 किता कुल रकबा 0.904 है0 को धारा–80 (2) राजस्व संहिता–2006 के अन्तर्गत गैरकृषिक प्रयोजन हेतु घोषित किए जाने की उद्घोषणा निम्न प्रकार से उल्लिखित प्रतिबन्धों के अधीन की जा रही है:–

1–धारा–80उ0प्र0रा0सं0 2006 के अन्तर्गत तहसीलदार नवाबगंज द्वारा प्रेषित आख्या निम्नवत् है:–

राजस्व ग्राम का नाम लक्षररजहा परगना प्रतापगंज तहसील नवाबगंज

ग्राम का नाम	भूमिधर का नाम पिता का नाम व स्थान	खतौनी खाता संख्या	खाता का क्षेत्रफल है0 में	माल गुजारी रू0 में	गाटा संख्या	क्षेत्रफल है0 में	विशिष्ट गैर कृषि प्रयोजन के लिए खाता या उसका कोई भाग	विशिष्ट विवरण
1	2	3	4	5	6	7	8	9
लक्षर रजहा / प्रतापगंज	डा0 राजेन्द्र प्रसाद एजुकेशनल सोसाइटी द्वारा अध्यक्ष श्रीमती ममता श्रीवास्तव पत्नी श्री विजय कुमार श्रीवास्तव निवासी एम0एस0– 101 सेक्टर बी अलीगंज लखनऊ	01296 01366	0.653 0.424	3.75 3.75	2264 2319	0.653है0 0.424है0	0.4808है0 0.424है0 कुल 2 किता कुल रकबा 0.904है0	चालान संख्या G381235 दिनांक 18–05–2022 उद्घोषणा शुल्क रू0 7700.00 न्याय शुल्क 7700–00 / 09.06.2022 का छपाऊ स्टाम्प

2– वादिनी द्वारा स्वयं प्रार्थना पत्र दिया गया है। ऐसी स्थिति में नोटिस दिया जाना आवश्यक नहीं है।

3– वादिनी का आवेदित रकबा 0.904 पर आवासीय गतिविधियां विद्यमान हैं जिसका सम्बन्ध कृषि बागवानी, मत्स्य पालन व कुटकुट पालन से नहीं है।

4–वादिनी का आवेदित रकबा 0.904 सम्पूर्ण भाग का सम्बन्ध कृषि, बागबानी, मत्स्य पालन व कुटकुट पालन से नहीं है।

5– उ0प्र0 राजस्व संहिता नियमावली–2016 की धारा–85(2) के अन्तर्गत घोषणा के लिए निर्धारित मूल्यांकन सूची के अनुसार उद्घोषणा प्रश्नगत रकबे का कृषि प्रयोजन के लिए निर्धारित सर्किल रेट के अनुसार उद्घोषणा शुल्क हेतु अगणित रकम का एक प्रतिशत रू0 345.00 चालान संख्या G381235 दिनांक 18–05–2022 व विभाजन शुल्क रू0 1000–00 चालान संख्या G383562 दिनांक 23–05–2022 व न्याय शुल्क के रूप में रू0 7700–00 / 18.08.2019 का छपाऊ स्टाम्प क्रमश रू0 5000 / H001102 रू0 1000 / 857920, रू0 1000 / CT603797 रू0 500 / CT603796 रू0100 / BD881929 रू0 100 / EP716891 दाखिल किया गया है।

आदेश पत्रक

न्यायालय : उपजिलाधिकारी
मण्डल :अयोध्या,जनपद :बाराबंकी,तहसील :नवाबगंज
वाद संख्या :-12904/2022
कंप्यूटरीकृत वाद संख्या :-T201904120111904
डा0 राजेन्द्र प्रसाद एजु0 सोसी0 द्वारा अध्यक्ष श्रीमती ममता श्रीवास्तव बनाम सरकार उ0प्र0
अंतर्गत धारा:- 80, अधिनियम :- उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006

6– चूंके वादिनी द्वारा अपनी जोत का प्रयोग कृषि से भिन्न प्रयोजन के लिए किया जा रहा है, इसलिए राजस्व नियमावली–2016 के नियम–88 के अन्तर्गत उल्लिखित राजस्व संहिता–2006 की धारा–22(2) के अनुसार उद्घोषणा शुल्क जरिये चालान सम्बन्धित लेखा शीर्षक में व न्याय शुल्क जरिये स्टाम्प जमा किया गया है।

7– इस उद्घोषणा में मात्र भूमि पर अकृषिक गतिविधियाँ प्रारम्भ होने के आधार पर भूमि को गैर अकृषिक प्रयोजन घोषित किया जा रहा है, परन्तु मात्र इस घोषणा के आधार पर कोई भू–स्वामी भू–अर्जन की स्थिति में औद्योगिक दर से प्रतिकर की मांग नहीं करेगा जब तक कि शासन से भू–उपयोग परिवर्तन न करा लिया जाय।

8– यह उद्घोषणा मात्र भूमि के अकृषिक प्रयोजन के सन्दर्भ में है, इस उद्घोषणा को स्वत्व सम्बन्धी किसी विवाद में आधार नहीं माना जायेगा।

9–आवेदित गाटा संख्या में अन्य सहखातेदार है जिनका शपथ पत्र संलग्न है।

अतएव प्रश्नगत भूमि गैरकृषिक प्रयोग में लाया जाना प्रस्तावित है अतः ग्राम लक्षबरजहा परगना प्रतापगंज तहसील नवाबगंज जनपद बाराबंकी स्थित भूमि खाता संख्या 01296 गाटा संख्या 2264 रकबा 0.6530 हे0 में से 0.4808हे0 माल गुजारी परता खाता व खाता संख्या 01366 गाटा संख्या 2319 रकबा 0.424हे0 पूर्ण माल गुजारी परता खाता कुल 02 किता कुल रकबा 0.904 हे0 को कृषि से अलग कार्यों में प्रयुक्त किये जाने के कारण धारा–80(2) उ0प्र0राजस्व संहिता–2006 के अन्तर्गत गैर कृषिक घोषित किये जाने हेतु रिपोर्ट तहसीलदार नवाबगंज द्वारा अग्रसारित की गयी है। तहसीलदार, नवाबगंज की जाँच आख्या एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का सम्यक् परिशीलन किया गया जिससे विदित होता है कि आवेदक का रकबा 0.904हे0 पूर्णतयः गैरकृषिक घोषित किया जा सकता है। इस कारण उक्त धारा के शुल्क रू0 1000–00 का चालान एवं न्याय शुल्क रू0 7700–00 का स्टाम्प आवेदक द्वारा जमा किया गया। अतः उपरोक्त भूमि राजस्व संहिता– 2006 की धारा–80(2) के अन्तर्गत गैरकृषिक भूमि घोषित किये जाने में कोई विधि अड़चन नही है।

आदेश

अतः ग्राम लक्षबरजहा परगना प्रतापगंज तहसील नवाबगंज जनपद बाराबंकी की खतौनी 1425– 1430 फ0 की खाता संख्या 01296, 01366 पर डा0 राजेन्द्र प्रसाद एजुकेशनल सोसाइटी द्वारा अध्यक्ष श्रीमती ममता श्रीवास्तव पत्नी विजय कुमार श्रीवास्तव निवासी एम0एस0– 101 सेक्टर डी0 अलीगंज लखनऊ के नाम संक्रमणीय भूमिधर अंकित भूमि खाता संख्या 01296 गाटा संख्या 2264 रकबा 0.6530 हे0 में से 0.4808हे0 माल गुजारी परता खाता व खाता संख्या 01366 गाटा संख्या 2319 रकबा 0.424हे0 पूर्ण माल गुजारी परता खाता कुल 02 किता कुल रकबा 0.904 हे0 को धारा 80(2) उ0प्र0 रा0सं0–2006 द्वारा संशोधित अध्यादेश–2019 के अन्तर्गत गैर कृषिक प्रयोजन हेतु प्रस्तावित भूमि घोषित किया जाता है। आवेदकगण को धारा 80(2) उ0प्र0रा0सं0–2006 द्वारा संशोधित अध्यादेश–2019 की शर्तों का अक्षरशः अनुपालन करना होगा। यदि उल्लिखित गाटा संख्या के विरूद्ध ऐसा कोई प्रतिकूल तथ्य प्रकाश में आता है जो उ0प्र0रा0सं0–2006 की धारा–82 के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी। तद्नुसार परवाना अमलदरामद जारी हो। आदेश की एक प्रति उपनिबन्धक नवाबगंज को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जाए। बाद आमलदरामद पत्रावली संचित अभिलेखागार हो।

दिनांक– 2022

(अभय कुमार पाण्डेय)
उपजिलाधिकारी
नवाबगंज–बाराबंकी।

सत्य प्रति
TRUE COPY
पृष्ठ संख्या
Deputy Commissioner's Office
BARA BANKI